



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सक्यूलर/09/7533-9684 दिनांक 12/07/2012


समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान  
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान  
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान  
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 26

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन अनुसार जयपुर बम ब्लास्ट-2008 में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारजनों एवं गंभीर रूप से घायलों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस संबंध में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पहचान पत्र जारी किये जावेंगे।

उक्त पहचान पत्र के आधार पर राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में संबंधित परिवार के सदस्यों/घायलों का निःशुल्क ईलाज किया जायेगा। आवश्यकता होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क ईलाज हेतु मरीज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.), चंडीगढ़ में भी भिजवाया जायेगा।

यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय के आई.डी. क्रमांक एफ12002902, दिनांक 05.07.2012 के अनुसरण में जारी की जाती है।


  
(बी०एन० शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. समस्त संभागीय आयुक्त/कलक्टर, राजस्थान।
16. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर।
17. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. निदेशक, (बजट) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
21. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
22. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
23. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
24. संयुक्त निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
25. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
26. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
27. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
28. प्रभारी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
29. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

  
 मिशन निदेशक  
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन